Title: Need to bring a comprehensive women reservation Bill with the consent of all political parties.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण तात्कालिक विषय पर मैंने सूचना दी थी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस देश में हमारे समाज की संरचना सौढ़ीनुमा है। हजारों वर्षों से यह सौढ़ीनुमा संरचना बनी हुई है, समाज में ऊपर और नीचे की खाई बनी हुई है। हमारे संविधान निर्माताओं को इसका पूरा ज्ञान था। इसीलिए संविधान के आर्टीकल १४, १५(४) और १६(२) में यह प्रावधान किया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें एक अवसर के सिद्धांत के तहत बराबरी का हक दिलाया जाए। इसी के तहत आरक्षण की पालिसी आती है। मैं इसीलिए इस सवाल को छेड़ना चाहता हूं और साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं की नीयत ठीक थी। लेकिन आज इस आरक्षण का कहीं राजनीतिकरण न कर दिया जाए। क्योंकि इसमें हजारों वर्षों से जो दबे-कुचले समाज के लोग हैं वे ५२ फीसदी लोग हैं। उनके हक का सवाल है, कहीं इसको पोलिटीसाइज न कर दें, मुझे यह शंका लगती है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसके संदर्भ में पूरा सदन सहमत है। सदन में किसी पक्ष का विरोध नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण न दिया जाए। महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। मैं इस आरक्षण का बिल्कुल पक्षधर हूं। लेकिन इसी के साथ-साथ सम्पूर्ण विपक्ष, सम्पूर्ण पोलिटीकल पार्टीज और सम्पूर्ण सदन को विश्वास में लेकर ही महिला आरक्षण बिल के प्रेजेन्ट फोर्म में तरमीम करके, उसमें बदलाव करके सदन में पेश करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल को यहां इसलिए रखना चाहता हूं, यह ठीक है कि हमारा एन.डी.ए. मोर्चा है, हम एन.डी.ए. सरकार के साथ है। लेकिन हम यह दुख के साथ कहना चाहते हैं कि देश की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने में यह सर्वोच्च सदन, लोक सभा सक्षम है, यह सदन सर्वशक्तिमान है। लेकिन सर्वशक्तिमान और सक्षम होने के बावजूद भी यह न्यायपालिका का सहारा लेती रही है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे राम मन्दिर का मामला हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्गों का मामला हो, ये मामले न्यायपालिका में चले गये हैं। यह सर्वोच्च एक खतरे की बात है। मैं उस खतरे की ओर संकेत करना चाहता हूं। करोड़ों लोगों का यह सदन है और मैं इस बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं,

उपाध्यक्ष महोदय, यदि पूरे सदन को विश्वास में नहीं लिया गया, तो ठीक नहीं रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद का सवाल हो, राम मंदिर निर्माण का सवाल हो, अन्य पिछड़े वर्गों का सवाल हो पूर्णतः नाकामयाब और विफल रहा है यह सर्वशक्तिमान सदन क्योंकि मामले उच्चतम न्यायालय में चले गए। मैं इस मामले में भी अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि महिला आरक्षण के मामले का कहीं वही हश्र न हो जाए कि यह भी न्यायपालिका की दहलीज पर दस्तक दे। इसलिए इन सभी बिन्दुओं पर एक समीक्षात्मक और आम सहमति बनाकर पूरे सदन को विश्वास में लेकर सभी पालिटिकल पार्टियों को बैठाकर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी बी.ए.सी. में भी बोली थीं। मैं उनकी बहुत कद्र करता हूं, लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस वधेयक को सदन में लाने और पारित करने पर जोर न दें। इसकी पूरी समीक्षा कर के सदन में लाया जाए। बिना पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किए बिना, यदि इसको लाया गया, तो यह ठीक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि १९९० में नौवीं लोक सभा में इसी सदन का मैं सदस्य था और ७ अगस्त, १९९० को यहां नैशनल फ्रंट की सरकार थी उसके प्रधान मंत्री मान्यवर वी.पी. सिंह जी द्वारा मंडल कमीशन हेतु २७ प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। उससे पूरे देश में बावेला मच गया था। पूरे देश में आत्महत्या और आत्मदाह का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे आशंका है यदि इस विधेयक को भी वर्तमान स्वरूप में पास कर दिया गया, तो इस विधेयक को भी कहीं उसी प्रकार का खमियाजा न भुगतना पड़े। इस बात से सारा सदन वाकिफ है और सभी लोग इस बात से भी वाकिफ हैं कि उस समय सदन और देश में क्या हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और काम्प्रीहेंसिव बिल सदन में लाया जाए, यही मेरा निवेदन है।

"> श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी दल की तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे हैं। अब तो आपको इतनी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अब तो आप संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें कि वे खड़े हो कर यह कहें कि आम सहमति के बिना बिल नहीं लाया जाएगा।

">... (व्यवधान)

">

"> उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैं आपको भी इस सिलसिले में बोलने के लिए मौका दूंगा। आप फिर बीच में उठकर बोल रहे हैं।

">

">

... (व्यवधान)

">

"> श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, रमजान का महीना चल रहा है, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं।

">

"> उपाध्यक्ष महोदय : आपने मुझे नाराज कर दिया।

">

">SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, I have given notice on the same subject...(Interruptions)

"> श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई बिल राज्य सभा में पास नहीं हो सकता, लेकिन राज्य सभा में बिल पास हो रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि कांग्रेस का समर्थन भा.ज.पा. को मिल रहा है और बी.जे.पी. तथा कांग्रेस दोनों अंदरूनी तौर पर एक हो गए हैं। यह अपील देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने भी की है। वे तो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं। अब यह गंभीर मामला बन गया है। इसलिए आप अपनी तरफ से सरकार को निर्देश दें कि आम सहमति के बिना बिल न लाया जाए।

">

"> उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हमारे संरक्षक हैं। हम चाहते हैं कि सदन शांति पूर्वक चले। यदि आप हमें संरक्षण नहीं देंगे, तो हम कहां जाएं। यदि आप हमें सजा भी देंगे, तो हम सजा भी भुगत लेंगे। बी.जे.पी. तो कांग्रेस से मिल गई है। ... (व्यवधान)

">

"> श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये अपने को समाजवादी और लोहियावादी कहते हैं, लेकिन इन्होंने लोहिया के सिद्धान्तों को भुला दिया है। ये लोहिया जी के सिद्धान्तों से अलग हो गए हैं।

">... (व्यवधान)

">

"> श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : आप यह बताइये कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि महिला पिछड़ी हैं

... (व्यवधान)

ये और पिछड़ा होने की बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान) ">

"> श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने महिलाओं में सम्पूर्ण महिलाओं की बात की थी।

... (व्यवधान)

">

"> श्री लाल मुनी चौबे : इन्होंने लोहिया के सिद्धांतों की तिलांजलि देकर महिलाओं को पिछड़ों का दर्जा दिया है।

... (व्यवधान)

पिछड़ों में पिछड़ा हुआ बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

लोहिया का मतलब नहीं रह गया है।

... (व्यवधान)

लोहिया ने कब कहा था कि यह जो पिछड़ा है

... (व्यवधान)

उसके पिन्ड़े में भी पिछड़ा हो और इसको बांटेंगे।

... (व्यवधान)

लोहिया जी चले गये।

... (व्यवधान)

आप घोषणा कीजिए। ... लोहिया जी ने सदन में कहा था कि गांव की महिलायें विधवा हो जाती हैं ... (व्यवधान) उनको खाने-पीने का कुछ इंतजाम नहीं होता।

... (व्यवधान)

">

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Lal Muni Chaubey, there is a limit. Please take your seat.

"> ... (Interruptions)

"> श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, चौबे जी ने मेरा नाम लिया है।

">... (व्यवधान)

"> ">

"> श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की छूट दी है, ... (व्यवधान) उसी के तहत मुलायम सिंह जी ने आपकी बात नहीं मानी।

">... (व्यवधान)

">

">MR. DEPUTY-SPEAKER: The matter raised is not listed in today"s List of Business. The Members raising the issue are deliberately hindering the proceedings of the House. It is not good on the part of the Members to waste the time of the House. I view their behaviour very seriously and warn them to behave properly.

"> श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : आपके द्वारा मुझे भी बोलने का अवसर मिला। ... (व्यवधान) आपने मेरा नाम लिया।

... (व्यवधान)

">

"> श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा नाम लिया है।

... (व्यवधान)

">

"> उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

">

">

... (व्यवधान)

">

">

"> श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, चौबे जी ने चूंकि मेरा नाम लिया है

">... (व्यवधान)

"> इसलिए मैं सदन में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ... (व्यवधान) लोहिया जी ने हमारी क्रीमीलेयर महिलाओं को ऊपर उठाने की बात नहीं की थी।

">... (व्यवधान)

"> श्री लोहिया जी ने सम्पूर्ण महिलाओं को ऊपर उठाने की बात की थी।

">... (व्यवधान)

"> जितनी भी महिलायें हैं, उन सबको ऊपर उठाने की बात की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि ठसंसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ।'' ... (व्यवधान) लाल मुनि चौबे जी को लोहिया जी के स्कूल की ट्रेनिंग नहीं है। ... (व्यवधान) इसलिए वे लोहिया जी को मिस इंटरपरेट कर रहे हैं।

">... (व्यवधान)

">

"> श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, १ जनवरी, २००० से ... (व्यवधान)

">

"> श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, लाल मुनि चौबे ने जो कहा है

">... (व्यवधान)

"> महिलाओं के अंदर पिछड़ा वर्ग चलाना उचित नहीं है.

">... (व्यवधान)

"> ">

"> इसके लिए उन्होंने लोहिया जी का उद्धरण दिया है।

... (व्यवधान)

उन्होंने सम्पूर्ण महिलाओं को पिछड़ा कहा था।

... (व्यवधान)

आरक्षण में यह विषय नहीं उठाना चाहिए था।

... (व्यवधान)

लोहिया जी ने यह भी कहा था, उसे हम स्मरण दिलाना चाहते हैं:- ">

"> ठसंसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ''।

">

"> श्री प्रमोद महाजन : मुलायम सिंह जी ने जो मुद्दे उपस्थिति किए हैं, भोजनावकाश में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात की चर्चा की है। यह सच है कि महिलाओं के ३३ प्रतिशत आरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसी संसद सत्र में उस बिल को लाना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ इस पर जितनी ज्यादा से ज्यादा आम सहमति बने, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, उतना ही अच्छा है। आम सहमति सर्वमत तो नहीं हो सकती, कन्सैन्सस और यूनैनीमिटी में थोड़ा अंतर होता है। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि इसे सदन का पूरा समर्थन मिले, सभी वर्गों का समर्थन मिले। विपक्ष के कुछ नेताओं को इसके बारे में कुछ कहना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया है कि वे कल प्रातः काल विपक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे जिसमें इस बिल के संबंध में आम सहमति निर्माण हो। इसलिए वे फिर से एक नई कोशिश कल सुबह करने का प्रयास करेंगे जिसमें लोक सभा के सभी विपक्ष के नेताओ और छोटे ग्रुप्स के नेताओं को भी बुलाया जाएगा और बिल लाने से पहले एक बार फिर आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि इसके साथ मुलायम सिंह जी सदन के काम में सहयोग देंगे। सभापति महोदय : आप यह खत्म हो जाने के बाद बोलिए।

">... (व्यवधान)

">

">14.13 hours

">(At this stage, Shri Akhilesh Kunwar Singh and some other hon. Members

">went back to their seats.)

"> सभापति महोदय : आप कॉलिंग अटैन्शन का नोटिस दे दीजिए।

">

">

... (व्यवधान)

">

">SHRI PRAMOD MAHAJAN: It is a very serious matter. I will bring it to the notice of the Agriculture Minister.